



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. -: 9-HRB161/2018-CHA

दिनांक: 09-01-2019

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
हरियाणा सरकार,  
हरियाणा सिविल सचिवालय,  
चण्डीगढ़ -160001

**विषय:- Diversion of 0.0122 ha of forest land in favour of Homemade Bakers (India) Ltd., for access to Homemade Bakers (India) Ltd., along Sonipat-Gannaur road, km. 6, L/side, at village kami, under forest division and District Sonipat, Haryana.**

संदर्भ:- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षण के पत्र क्रमांक प्रशा डी तीन 8516/2043 दिनांक 30.08.2018

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र एवं ऑनलाइन प्रपोजल नंबर **FP/HR/Approach/33935/2018** का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक **10.09.2018** द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना अतिरिक्त प्रधान एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8516/3131 दिनांक **27.01.2018** और पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8516/3540 दिनांक **01.01.2019** द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु **0.0122** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष या पौधा नहीं काटा जाएगा।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **1-R Raipura Minor RD 0 to 5 L&R/side, village Bari, Tehsil Gannaur and District Sonipat**, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **66,654/-** रूपये (**Sixty six thousand six hundred fifty four Only**) की राशि से **50** पौधें लगाकर किया जायेगा।
- iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- vi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- ix. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- x. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xi. स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। प्रत्येक खम्बें पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस०निर्देशांक तथा एक खम्बें से दूसरे खम्बें की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी।

- xii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।  
xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।  
xiv. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

  
(सी० डी० सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षण, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Sonapat, Haryana.
4. M/s Homemade Bakers (India) Ltd., C-126, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi.